



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

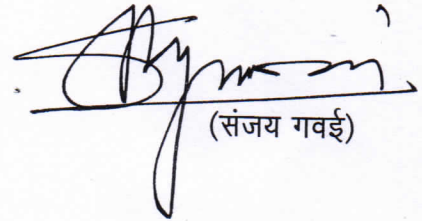
पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/438
दिनांक: 07.07.2015

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 23.06.2015 को सम्पन्न 23^{वीं} बैठक की मद संख्या 08 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता के 'अध्यादेश क्रमांक-48' तथा क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद के 'अध्यादेश क्रमांक-49' के बिंदु क्रमांक 04 को निम्नानुसार परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

'This Centre will be headed by a Director or Incharge not below the rank of Associate Professor.'

क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता से अध्ययन मंडल के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव (पैरा सं. 02) को अस्वीकार किया जाता है।


(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिषद)
5. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
6. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल